tion of the depositors can be inroduced on the lines of similar scheme as contained in Banking Act, 1987, of England.

In order to examine the issues involved in the above suggestions, in consultation with the Government, RBI has appointed a Working Group (Chairperson; Smt. K. S. Shere) in September, 1996. The Group has already concluded its deliberations and is expected to submit its report to Reserve Bank shortly.

वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें

2227. **श्री महेश्वर सिंह : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनेक वित्तीय कंपनियां ऋण देने का लालच देते हुए विज्ञापनों के माध्यम से नागरिकों को गुमराह कर रही हैं और आवेदकों से ऋण राशि का 10 प्रतिशत और फाइल चार्ज के नाम पर हजारों रुपए की राशि अग्रिम रूप से ले ली जाती है लेकिन न तो उन्हें ऋण दिया जाता है और न ही अग्रिम रूप से ली गई धनराशि का भुगतान किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा माननीय सदस्यों के माध्यम से इस संबंध में ब्राइटो फाइनेंस एंड ट्रेडिंग कंपनी (पंजीकृत), बी–255, फेज-I, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली–20 के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जबकि देश के विभिन्न भागों से कुछ गैरबैंककारी वित्तीय कंपनियों द्वारा अनियमितताएं किए जाने की रिपोर्ट मिलती रही है, कमीशन के रूप में ऋण का 10 प्रतिशत लेने और आवेदन जैसे फाइल प्रभार लेने का कोई मामला भारतीय रिजर्व बैंक के सामने नहीं आया है । अनुमानत: फर्म का नाम ब्रिटो फाइनेंस है, न कि ब्राइट फाइनेंस । भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में जांच करने के लिए एक अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया था और उसे सूचित किया गया है कि ब्रिटो फाइनेंस एंड ट्रेडिंग कंपनी लि०, नई दिल्ली एक परामर्शदात्री फर्म है जो औद्योगिक परियोजना ऋण, संयंत्र और मशीनरी के लिए बैंक ऋण, कार्यशील पूंजी आदि से संबंधित कार्य करती है । यह फर्म उधारकर्ताओं को ऋण मंजूर करवाने में सहायता प्रदान करती है और दी गई सेवा के लिए कमीशन लेती है ।

(ख) पिछले कुछ समय में बैंकिंग प्रभाग में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

***Investors* Protection Fund**

2228. SHRI GYAN RANJAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up an Investors Protection Fund;

(b) If so, the details thereof; and

(c) what would be the corpus of the fund and when it would start functioning?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) to (c) There is a proposal to establish a fund to safeguard the investors' interests, the details of which are spelt out in the proposed Companies Bill, 1997. The Bill is expected to be introduced in the current Session of Parliament.

Funds collected by plantation companies

2229. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 798 given in the Rajya Sabha on 29th July, 1997 and state the details of funds